

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34851/2017

दिनांक: 19.12.2017

समस्त उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय

विषय:- प्रारम्भिक शिक्षा में पदस्थापित नियमित अध्यापक माध्यमिक शिक्षा में उच्च पद पर चयनित होने पर बकाया एरियर भुगतान करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत नियमित शिक्षक/कार्मिक जो अब माध्यमिक शिक्षा में उच्च पदों पर चयनित होकर किसी भी पद पर कार्यरत है उनका समस्त बकाया एरियर भुगतान प्रारम्भिक शिक्षा से प्राप्त जी.ए. 55 के आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्तर पर आहरित किया जाना सुनिश्चित करें ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक: 19.12.2017

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34851/2017

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
2. समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ कार्यालय को सूचित करावे ।
4. सम्पादक शिविरा पत्रिका, बीकानेर को 7 अतिरिक्त प्रतियों में आगामी अंक में प्रकाशन हेतु ।
5. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कार्यवाही करें ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर